

अदालत... अहायम क्लेस्टर (२००) मुकाम... अहायम

कुम्हाराम बनाम अगाराम

किस्म मुकदमा रा.अपे. 111,128 R.R. अं. 379 सन् 2021

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24.12.21	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>नरपुत्र पुनड. एड.</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111,128 R.R. अं.</u> राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>10.01.22</u> को पेश हो।</p>	
10/01/2022	<p>प्रार्थी वकील उपरिपत्र/विप्रार्थी/गणों के नोटिस तामिल नाम तामिल न्यायालय/अपील पीठापीन अधिकारी दिनांक 10/01/22 को पेश होने से मित्राल इल्लव डोडर मागामी दिनांक 28/02/2022 को पेश की।</p>	<p>जज अहकाम (2021) वायवु</p>
28/02/2022	<p>प्रार्थी वकील उपरिपत्र/विप्रार्थी/गणों के नोटिस तामिल शुद्धा अपत जिमे वासिल पत्रावली विमा मन्म/विप्रार्थी/गणों एडवकुड तामिल अनुउपरिपत्र/अ तामिल मन्म लमम लीन एत मावपन एगाई गडू प्रमित्तम दिनांक 5.45 PM पर एगाई गडू/विप्रार्थी/गणों एडवक उनही को के डोई अधिकार्य उपरिपत्र नहीं डूबा रिजल विप्रार्थी/गणों के विरुद्ध एडवकमा डार्पकारी मन्म के करि जमा के तैल: वास्ते कथा पत्रावली दिनांक 04/05/2022 को पेश की।</p>	

सहायक जज अहकाम
 (2021) वायवु

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

04/05/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई. प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(000) रायन

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
बनाम
वाट / 2022 / 577
प्रार्थी
कुमारम पुत्र राणाराम वगैरा OS
जाते जाट, निवासी मालदेता,
पटवार मण्डल गिड़ा,
तहसील गिड़ा (बाडमेर)
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
राजस्थान सरकार

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 577
प्रार्थी

बनाम

दिनांक : 04/05/2022
विप्रार्थीगण

1. कुम्भाराम पुत्र राणाराम वगैरा 05,
जाति जाट, निवासी मालदेता,
पटवार मण्डल गिड़ा,
तहसील गिड़ा (बाडमेर)


1. वगताराम पुत्र लालाराम वगैरा 28,
जाति जाट, निवासी मालदेता,
पटवार मण्डल गिड़ा,
तहसील गिड़ा (बाडमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 379/2021

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - मालदेता, पटवार मण्डल - गिड़ा, तहसील - गिड़ा, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 28, 66 रकबा क्रमशः 1.3274, 3.7474 हेक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहे एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट भेज करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 04/05/2022

क्रमांक : वाद / 2022 / 578-582

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का गिड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री कुम्भाराम पुत्र राणाराम वगैरा 05,
4. विप्रार्थी श्री वगताराम पुत्र लालाराम वगैरा 28,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु